रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233752
CG-DL-E-25022022-233752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
No. 158] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 161(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 885(अ) तारीख 27 दिसंबर, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तरीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां 28 दिसंबर, 2021 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 93 में, उप-नियम (1) (क) में, -

(i) खंड (6) में, सारणी के पश्चात्, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि दो पहिया यानों को ले जाने वाले यानों में, लदान सहित बॉडी चालक की केबिन के ऊपर प्रक्षिप्त न हो, यानों को ले जाने के लिए अधिकतम तीन डैक हो सकते हैं:";

(ii) खंड (7) में, सारणी के पश्चात्, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि दो पहिया यानों को ले जाने वाले यानों में, लदान सहित बॉडी चालक की केबिन के ऊपर प्रक्षिप्त न हो, यानों को ले जाने के लिए अधिकतम तीन डैक हो सकते हैं:

परंतु यह भी कि एआईएस-113 के अनुसार, लदान सहित बॉडी, चार पहिया यानों को ले जाने वाले यानों में अधिकतम दो डैक हो सकते हैं।"।

[फा.सं. आरटी-11036/34/2021-एमवीएल]
अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 153(अ) तारीख 23 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

G.S.R. 161(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 885(E), dated the 27th December, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th December, 2021;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 93, in sub-rule (1) (A),-

(i) in clause (VI), after the Table, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that vehicles carrying two wheelers can have maximum of three decks to carry vehicles with load body not projecting over the driver's cabin:";

(ii) in clause (VII), after the Table, after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that vehicles carrying two wheelers can have maximum of three decks to carry vehicles with load body not projecting over the driver's cabin:

Provided also that vehicles carrying four wheelers can have maximum of two decks, with the load body as per AIS-113.".

[F. No. RT-11036/34/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 153(E), dated the 23rd February, 2022.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.25 22:28:18 +05'30'